



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



4 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 136 राँची, बुधवार,

25 मार्च, 2026 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

संकल्प

24 सितम्बर, 2025

संख्या-1851--

कृपया पढ़ें:-

- उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का आदेश ज्ञापांक-2434/गो० दिनांक-05.07.2022 तथा पत्रांक-2850/गो० दिनांक-04.08.2022 (अनु०सहित)
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड का आदेश सं०-2520/ दिनांक- 03.11.2022 एवं आदेश सं०-1423 /30.07.2024 तथा विभागीय संकल्प सं०-2551 /दिनांक-09.11.2022 एवं 2287/ दिनांक-23.12.2024
- श्री गणेश कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-94 (अनु०) दिनांक-23.08.2023
- झारखण्ड लोक सेवा आयोग का पत्रांक-2052 दिनांक-18.08.2025

श्रीमती नीरजा कुजूर, तदेन जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा (वार्द्धक्य सेवानिवृत्त -31.12.2023) के विरुद्ध कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय में आपूर्तिकर्ता द्वारा बाजार दर से अधिक मूल्य पर खाद्यान आपूर्ति किये जाने से संबंधित

मामले संज्ञान में आने पर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के आदेश जापांक-2434/गो0 दिनांक-05.07.2022 द्वारा अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जाँच दल का गठन किया गया।

2. उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक-2850/गा0 दिनांक-04.08.2022 के साथ संलग्न तीन सदस्यीय जाँच दल का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती कुजूर के विरुद्ध निविदा का गलत निस्तारण कर बाजार दर से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत करने, स्थापित नियमों के प्रतिकूल कार्य करने तथा कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में खाद्यान्न आपूर्ति को व्यवस्थित नहीं करने एवं पर्यवेक्षण में पारदर्शिता के अभाव इत्यादि आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होने पर विभागीय आदेश संख्या-2520 दिनांक-03.11.2022 के द्वारा निलंबित करते हुए निलंबनावधि में मुख्यालय का निर्धारण स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची में किया गया।

3. विभागीय संकल्प संख्या-2551/दिनांक-09.11.2022 के द्वारा श्रीमती कुजूर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित एवं संचालित करते हुए निम्नवत् आरोप पत्र का गठन किया गया:-

(i) कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय/झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय तथा समर्थ बालक/बालिका आवासीय विद्यालयों में बाजार दर से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति आदेश निर्गत कर वितीय अनियमितता करना।

(ii) पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध कार्य करना।

(iv) विभागीय निर्देशों का अनुपालन नहीं करना।

(v) उपर्युक्त कार्य कर सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3.1 (i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण करना।

4(i) संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-94 (अनु0) दिनांक-23.08.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। श्रीमती कुजूर के विरुद्ध गठित आरोप प्रतिवेदन बचाव-बयान/पूरक बचाव-बयान एवं द्वितीय पूरक बचाव-बयान, उपस्थापन पदाधिकारी का विभागीय मंतव्य/ पूरक मंतव्य तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत आरोप पत्र में गठित आरोप संख्या-1, 2 एवं 5 प्रमाणित पाया गया है, जिसके लिए श्रीमती कुजूर के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 के तहत पेंशन से 5% की राशि की कटौती 05 वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। विभागीय पत्रांक-2510/दिनांक-02.11.2023 द्वारा श्रीमती कुजूर से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्रीमती कुजूर के पत्रांक-847/दिनांक-17.11.2023 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। श्रीमती कुजूर ने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर प्रतिवेदन में ऐसे कोई नया तथ्य नहीं दिया है, जिस पर पूर्व में विचार नहीं किया गया हो। अतः श्रीमती कुजूर के विरुद्ध गठित आरोपों के सन्दर्भ में आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में उनसे प्राप्त कारण पृच्छा के उत्तर को अस्वीकृत किया जाता है।

(ii) झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक-2052 दिनांक-18.08.2025 के द्वारा श्रीमती कुजूर के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम, 43 के तहत उनके पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती पाँच वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित करने पर परामर्श संसूचित किया गया है।

अतएव श्रीमत नीरजा कुजूर, तदेन जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा सम्प्रति वार्द्धक्य सेवानिवृत्त (31.12.2023) के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 के तहत

उनके पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती पाँच वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही निस्तारित किया जाता है।

ख) निलंबनावधि (दिनांक-03.11.2022 से 18.07.2023) में निर्धारित मुख्यालय में श्रीमती कुजूर के द्वारा दिनांक-01.06.2023 को योगदान समर्पित किया गया। इस स्थिति में दिनांक-03.11.2022 से 01.06.2023 की अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से भत्ता रहित तथा दिनांक-02.06.2023 से 18.07.2023 तक यथा निर्धारित मुख्यालय में प्रति कार्य दिवस उपस्थिति दर्ज किये जाने के फलस्वरूप निलंबनावधि के लिए अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता की स्वीकृति विभागीय आदेश सं0-1423 दिनांक-07.07.2024 के द्वारा प्रदत्त है।

(iii) विभागीय संकल्प सं0-2287 दिनांक-23.12.2024 के द्वारा श्रीमती कुजूर के विरुद्ध एक अन्य आरोप के विरुद्ध संस्थित एवं संचालित विभागीय कार्यवाही के निस्तारण के पश्चात् उपदान की राशि की स्वीकृति के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मोईनउद्दीन खान,

सरकार के संयुक्त सचिव।
